कार्यालय प्रधानाचार्य जनता पालीटेक्निक जहांगीराबाद, भईपुर (बुलन्दशहर) उ0प्र0–203391

पत्रांकः ज0पा0/ /2018–19 दिनांक : /02/19

–: सूचना :–

विषयः जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं को समयबद्ध रूप से निस्तारण के सम्बन्ध में।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर के पत्र सं0 260–159/ई–जनहित गारण्टी अधिनियम कानपुर दिनांक 19–09–2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम लागू किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग में अन्य सेवाओं के साथ–साथ संस्था स्तर की छात्रों से सम्बन्धित निम्नलिखित सेवायें भी आच्छादित हैं, जिन्हें ऑनलाईन उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित किया गया है–

1. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान करना।
2. चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करना।
3. अंकतालिका में संशोधन सम्बन्धी कार्यवाही।
4. काशनमनी उपलब्ध कराना।

उक्त सेवायें ऑनलाईन प्रदान करने के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा बेवसाइट पर संस्था के लॉगइन पर ई–सर्विस टेब के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। पुस्तकालय अध्यक्ष/छात्र प्रभारी द्वारा उक्त से प्राप्त आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराये जायेगें, जिन्हें विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए संस्तुति सहित सम्बन्धित लिपिक/प्रभारी को अग्रसारित करना होगा। यदि अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी/सम्बन्धित प्रभारी द्वारा सेवायें प्रदान करने में बिलम्ब किया जाता है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित दण्ड के भागी होंगें।

अतः सावधानीपूर्वक अभिलेखों में प्रमाण रखते हुए समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें। Website :– bteup.ac.in

(वरूण दत्त)
प्रधानाचार्य

पृ0 सं0: ज0पा0/874-76 /2018–19 तददिनांक 02/02/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी, संस्थागत।
2. परीक्षा प्रभारी, संस्थागत।
3. वरिष्ठ सहायक/क0 लेखा लिपिक, संस्थागत।
4. सूचना पट/बेवसाइट प्रभारी, संस्थागत।

(वरूण दत्त)
प्रधानाचार्य
जनता पॉलिटेक्निक
जहाँगीराबाद (बु0शहर)